न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बड़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–33/2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–16.06.2023
निर्णय दिनांक–20.11.2025

बद्रीलाल पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मारखेडा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री विवेक चौधरी एड0
अप्रार्थी–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 151, 155, 187, 189/459, 156, 278, 12, 03, 153, 157, 158, 159/460, 16, 186, 276, 44, 179/1 वाके ग्राम मारखेडा, पटवार हल्का गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बद्री एवं बदरी पुत्र रंगलाल दर्ज है, जो प्रार्थी का अधूरा नाम है। प्रार्थी का पूरा नाम बद्रीलाल है। राजस्व रिकॉर्ड में बद्री व बदरी के स्थान पर बद्रीलाल दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं मारखेडा गांव के अन्य खाता संख्या 76, 77 में बद्रीलाल ही दर्ज है। रिकॉर्ड की विभिन्नतोओ की वजह से प्रार्थी को अनेको परेशानियो का समाना करना पडता है। जिसकी दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि आराजी ख0न0 151, 155, 187, 189/459, 156, 278, 12, 03, 153, 157, 158, 159/460, 16, 186, 276, 44, 179/1 वाके ग्राम मारखेडा, पटवार हल्का गहलोद में दर्ज भूमि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

में अंकित बद्री व बदरी के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रंगलाल अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मारखेडा के आराजी ख0न0 153, 157, 158, 159/460, 16, 186, 276, 44 कुल किता 08 कुल रकबा 5.6649 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम बदरी पुत्र रंगलाल हि. 1/3 जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 179/1 रकबा 0.1265 हैक्ट. में बद्री पुत्र रंगलाल हि. पूर्ण जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 151, 155, 187, 189,/459 कुल किता 04 कुल रकबा 4.3119 हैक्ट. में बद्री पुत्र रंगलाल हि. 1/21 जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 156, 278 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1518 हैक्ट. में बद्री पुत्र रंगलाल हि. 1/21 जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 03, 12 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9863 हैक्ट. में वर्तमान में प्रार्थी का नाम बद्री पुत्र रंगलाल हि. 1/21 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि खाता संख्या 36, 92, 94, 95 प्रार्थी के नाम जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 21.08.1998 व खाता संख्या 78 जरिये आंवटन के नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक 15.07.1982 के द्वारा आयी हुई है। जिनमे प्रार्थी का नाम बद्री पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर दर्ज हो रखा है, जो कि आदिनांक तक अनवरत रूप से दर्ज हो रखा है। प्रार्थी अपने आवेदन को साक्ष्य सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित बद्री व बदरी के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रंगलाल करवाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 151, 155, 187, 189/459, 156, 278, 12, 03, 153, 157, 158, 159/460, 16, 186, 276, 44, 179/1 वाके ग्राम मारखेडा, पटवार हल्का गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बद्री एवं बदरी पुत्र रंगलाल दर्ज है, जो प्रार्थी का अधूरा नाम है। प्रार्थी का पूरा नाम बद्रीलाल है। राजस्व रिकॉर्ड में बद्री व बदरी के स्थान पर बद्रीलाल दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं मारखेडा गांव के अन्य खाता संख्या 76, 77 में बद्रीलाल ही दर्ज है। रिकॉर्ड की विभिन्नतोओ की वजह से प्रार्थी को अनेको परेशानियो का समाना करना पडता है। जिसकी दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि आराजी ख0न0 151, 155, 187, 189/459, 156, 278, 12, 03, 153, 157, 158, 159/460, 16, 186, 276, 44, 179/1 वाके ग्राम मारखेडा, पटवार हल्का गहलोद में दर्ज भूमि में अंकित बद्री व बदरी के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रंगलाल अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मारखेडा के आराजी ख0न0 153, 157, 158, 159/460, 16, 186, 276, 44 कुल किता 08 कुल रकबा 5.6649 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम बदरी पुत्र रंगलाल हि. 1/3 जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 179/1 रकबा 0.1265 हैक्ट. में बद्री पुत्र रंगलाल हि. पूर्ण जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 151, 155, 187, 189,/459 कुल किता 04 कुल रकबा 4.3119 हैक्ट. में बद्री पुत्र रंगलाल हि. 1/21 जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 156, 278 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1518 हैक्ट. में बद्री पुत्र रंगलाल हि. 1/21 जाति गुर्जर व आराजी ख0न0 03, 12 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9863 हैक्ट. में वर्तमान में प्रार्थी का नाम बद्री पुत्र रंगलाल हि. 1/21 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि खाता संख्या 36, 92, 94, 95 प्रार्थी के नाम जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 21.08.1998 व खाता संख्या 78 जरिये आंवटन के नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक 15.07.1982 के द्वारा आयी हुई है। जिनमे प्रार्थी का नाम बद्री पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर दर्ज हो रखा है, जो कि आदिनांक तक अनवरत रूप से दर्ज हो रखा है। प्रार्थी अपने आवेदन को साक्ष्य सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित बद्री व बदरी के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रंगलाल करवाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी खाता संख्या 77 संवत् 2073–76 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 136/2 वाके ग्राम मारखेडा, जमाबंदी खाता संख्या 76 संवत् 2073–76 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 136/1 वाके ग्राम मारखेडा व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम बद्रीलाल पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर है, जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड भूमि आराजी ख0न0 151, 155, 187, 189/459, 156, 278, 12, 03, 153, 157, 158, 159/460, 16, 186, 276, 44, 179/1 वाके ग्राम मारखेडा, पटवार हल्का गहलोद में प्रार्थी का नाम बद्री एवं बदरी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम **बद्री व बदरी पुत्र रंगलाल के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर हिस्सा जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner